



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन 1943 (श10)
(सं0 पटना 84) पटना, बृहस्पतिवार, 24 फरवरी 2022

परिवहन विभाग

अधिसूचना
24 फरवरी 2022

सं० 06/विविध-19/2017-1283—सार्वजनिक नीलामी में क्रय किये गये वाहन के करारोपण हेतु बिहार मोटरवाहन करधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा-6(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 की उपधारा-1 के अन्तर्गत निर्मित अनुसूची-1 भाग-ग के क्रमांक-8 के पश्चात् क्रमांक-9 निम्नरूप से अंतःस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	वाहनों की श्रेणी	मोटरवाहन कर की दर
9.	सार्वजनिक नीलामी में क्रय किये गये वाहन	केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-57 के अन्तर्गत वैसे परिवहन या गैर परिवहन वाहन, जो राज्य सरकार द्वारा राज्यसात् हैं, वैसे वाहनों की सार्वजनिक नीलामी में निर्धारित नीलामी की राशि ही इन नीलाम वाहनों का क्रय मूल्य माना जाएगा एवं तदनुसार उक्त वाहनों की कोटि के अनुरूप निर्धारित कर दर के अनुसार ही कर की देयता होगी।

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात् प्रभावी होंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 24th February 2022

No. 06/Vivid-19/2017-1283—In exercise of the power conferred by section-6(d) of Bihar Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2016 for the taxation of the vehicles purchased in public auction, serial-9 is inserted after serial-8 in part-c of Schedule-1 made under sub section-1 of section-5 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.

Sl.No.	Category of Vehicle	Tax rate of Motor Vehicle
1	Vehicle purchased in public auction.	Transport and Non-transport vehicles that are owned by the State Government in light of the rule-57 of Central Motor Vehicle Rule, 1989, the highest bid price in the public auction shall be the purchase price of such vehicles and tax shall be imposed as per the corresponding category of vehicle and tax fixed thereupon.

2. This notification shall come into effect after 5 working days of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 84-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>